



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2918 वर्ष 2026

श्रीमती उषा गौतम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: दीना नाथ

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीनानाथ और डीएसजीआई श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पति, जिनका नाम स्वर्गीय भाल चंद्र था, सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता उनकी दूसरी पत्नी हैं, हालांकि उनकी पहली पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था। रिट याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन की मांग कर रही हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सबसे पहले चौथे प्रत्यर्थी, वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन चौथे प्रत्यर्थी, वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष दिनांक 13.03.2026 तक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुत करें। इसके बाद, चौथा प्रत्यर्थी प्रभावित पक्षों को सूचना देने के उपरांत, रिट याचिकाकर्ता के दावे पर उसकी स्वीकार्यता, पात्रता और यदि कोई अन्य प्रतिस्पर्धी दावे हों, तो उन्हें भी ध्यान में रखते हुए विचार करेगा और चार महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

5. यदि चौथे प्रत्यर्थी की यह राय बनती है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तो वे संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज देंगे।

25 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”